न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 121 सन 2013
अनवान :–

1. पुष्कर पुत्र सतीश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर हाल निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सतीश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर
3. रोहताष कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर
4. सुशीला पुत्री सोहनलाल पत्नी हसंराज जाति ब्राहमण निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/03/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा थालडका के साबिका खसरा न0 228 की 32.01 बीधा जो पैमाईश के दौरान चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 61/52 हाल खाता संख्या 86/78 के प0न0 230/396(12) के किला न0 16/0.2530 ,प0न0 331/331(13) के किला न0 11/2 की 0. 2024हैक किला न0 12/0.253 ,13/0.2530 ,14/.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0. 2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,20/2 की 0.2020हैक कुल 10 किता की 2.4284हैक कुल 2.6414हैक मय गैरमुमकिन खाला 0.02530हैक भूमि स्थित है वाद भूमि मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है उक्त भूमि काशीराम की अर्जीत भूमि है जो उनके फोत होने पर सोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के कारण अपने अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली जबकि उक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की भूमि है तथा वादी का बाई बर्थ राईट है वादी प्रतिवादीगण के साथ कोपार्सनर है प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक का 1/4 –1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण वाद भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अनुचित व नाजायज फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र रहन बैय करने पर उतारू है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होती है क्योकि वाद नाबालिग है तथा उसकी माता को उसके पति प्रतिवादी संख्या 2 सतीश कुमार ने मारपीट कर घर से निकाल दिया हे तथा वादी की माता अपने पिहर दुलमाना में निवास कर रही है प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य प्रतिवादी संख्या 1 अपने जैर असर कर रखा तथा वादी को उसके हक से महरूम करने के लिए वाद भूमि अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी का अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये वाद प्रतिवादीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा की उक्त वाद भूमि में वादी के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे और वाद भूमि से अपना नाम कलमजन करवाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का 1/4 –1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6814हैक् भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 का सयुक्त तौर 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 4 को रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की स्वय अर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के जीवनकाल में वादी का वाद ग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सतीश कुमार प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी सुमन सभी परिवार में शाति पूर्वक नही रही लडाई झगडा करती रहती थी अब काफी समय से अपने पीहर दुलमाना में निवासी करती है सतीश कुमार के विरूद्व झुठे मुकदमें करती है तथा अन्यत्र शादी करना चाहती है वादग्रस्त भूमि पर कभी वादी का कब्जा नही रहा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की सदामत से काश्त करता आ रहा है कब्जा के अभाव मे दावा वादी नाकाबिल चलने के है वादी का वाद खारिज फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 4 का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार कर जबाब/साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की स्वय अर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के जीवनकाल में वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सतीश कुमार प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी सुमन कभी परिवार में शान्ति पूर्वक नही रही हमेशा झगडा करती रहती थी अब सुमन से अन्यत्र शादी कर ली है वाद भूमि पर वाद का कभी कब्जा नही रहा है वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ही सदामत से काश्त करता आ रहा है वादी की माता सुमन ने अपने प्रति सतीश कुमार से तलाक लेकर दुसरी शादी कर ली है अब सुमन वाद भूमि प्राप्त कर बेचना चाहती है वादी का वाद चलने योग्य नही होने के कारण खारिज फरमावे।

वादी के वाद एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के जबाब के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6814हैक् भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का बाई बर्थ राईट है।? — वादी
2. आया कि वाद भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।? — वादी
3. आया कि वाद भूमि पैतृक सम्पति नही है तथा सोहनलाल की नोतोड करदा भूमि है।? — प्रतिवादी
4. आया कि वाद भूमि पर कब्जा सोहनलाल का है कब्जा के अभाव में वाद पोषणीय नही है ।? — प्रतिवादी
5. आया वादी की माता सुमन ने अपने पति सतीश कुमार से तलाक लेकर दुसरी शादी महेन्द्र पुत्र देवीलाल ब्राहम्ण निवासी न्योलखी से कर ली इसका दावा पर क्या असर है ।? — प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested

6. दादरसी

तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों को साक्ष्य/सबुत पेश करने का अवसर दिया गया वादी ने साक्ष्यवादी में वादी स्वय पुष्कर पुत्र सतीश कुमार के ब्यान करवाये गये व कृष्ण कुमार पुत्र लादुराम के ब्यान करवाये और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लिये गये साक्ष्य प्रतिवादी में सोहनलाल के ब्यान करवाये व बृजलाल पुत्र रणजीत के ब्यान करवाये और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी रोही मोजा चक 18 आरडब्ल्यूडी खाता संख्या 61/52 व 86/78 व जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 खाता संख्या 29/176 व पर्चा खतौनी की प्रति रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी पेश की तथा प्रतिवादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2075 से 78 पेश की व मतदाता सूची की प्रति पेश की गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की काशीराम की अर्जीत भूमि है जो उनके फोत होने पर सोहनलाल ने कर्ता खानदान होने के कारण अपने अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली जबकि उक्त भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की भूमि है तथा वादी का बाई बर्थ राईट है वादी प्रतिवादीगण के साथ कोपार्सनर है प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/4 व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक का 1/4 –1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है प्रतिवादीगण वाद भूमि अकेले के नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर अनुचित व नाजायज फायदा उठाकर वाद भूमि अन्यत्र रहन बैय करने पर उतारू है जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होती है क्योकि वाद नाबालिग है तथा उसकी माता को उसके पति प्रतिवादी संख्या 2 सतीश कुमार ने मारपीट कर घर से निकाल दिया हे तथा वादी की माता अपने पिहर दुलमाना में निवास कर रही है प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य प्रतिवादी संख्या 1 अपने जैर असर कर रखा तथा वादी को उसके हक हिस्सा से महरूम करने के लिए वाद भूमि अन्यत्र रहन बेय करने पर उतारू है यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादी का अपूर्णीय क्षति होती है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की स्वय अर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के जीवनकाल में वादी का वाद ग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सतीश कुमार प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी सुमन सभी परिवार में शाति पूर्वक नही रही लडाई झगडा करती रहती थी अब काफी समय से अपने पीहर दुलमाना में निवासी करती है सतीश कुमार के विरूद्व झुठे मुकदमें करती है तथा अन्यत्र शादी करना चाहती है वादग्रस्त भूमि पर कभी वादी का कब्जा नही रहा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की सदामत से काश्त करता आ रहा है प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के जीवनकाल में वादी का वाद ग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सतीश कुमार प्रतिवादी संख्या 2 की पत्नी सुमन सभी परिवार में शाति पूर्वक नही रही लडाई झगडा करती रहती थी अब काफी समय से अपने पीहर दुलमाना में निवासी करती है सतीश कुमार के विरूद्व झुठे मुकदमें करती है तथा अन्यत्र शादी करना चाहती है वादग्रस्त भूमि पर कभी वादी का कब्जा नही रहा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की सदामत से काश्त करता आ रहा है कब्जा के अभाव मे दावा वादी नाकाबिल चलने के है वादी का वाद खारिज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी प[illegible] अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /साक्ष्य /सबुत [illegible] निम्नप्रकार से है :–

1. आया कि रोही मौजा चक 18 [illegible]ूडी के खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6814हैक भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें [illegible]ी का बाई बर्थ राईट है।? वादी

तनकी न0 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें उसका बाई बर्थ राईट है वादी ने अपने कथनों के

उपखण्ड अधिकारी

सर्मथन में रोही मोजा चक 18 आरडब्ल्यूडी खाता संख्या 61/52 व 86/78 व जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 खाता संख्या 29/176 व पर्चा खतौनी की प्रति रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी पेश की जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 एव पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज काशीराम पुत्र रामप्रसाद के नाम से दर्ज थी जो पैमाईश में पर्चा खतौनी के अनुसार रोही मौजा चक 18 आरडब्ल्यूडी में पैमुद हुई है वादी के पूर्वज काशीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज हुई है विरास्ताने से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना पूर्णरूप से साबित होता है प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि उसकी स्वयअर्जित भूमि है वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि सोहनलाल को विरास्तन से प्राप्त होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी का बाई बर्थ राईट है

वाद भूमि जो सोहनलाल प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता काशीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्राप्त हुई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6814हैक दर्ज है मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का हक हिस्सा है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम दर्ज भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक 1/4 – 1/4 हिस्सा के हकदार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण वादी के पक्ष मे तय की जाती है।

2. आया कि वाद भूमि में प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।?

वादी

तनकी न 2 को साबित करने का भार वादी पर है वादी ने तनकी न0 1 को पूर्णरूप से साबित किया गया है जिससे वाद भूमि में वादी का बाई बर्थ राईट होता है व अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज है जिसका फायदा उठाकर वादभूमि को रहन बैय कर सकता है वादी के हकों की सुरक्षा करने हेतु वादी प्रतिवादी संख्या 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है अतः तनकी न0 2 भी वाद के पक्ष में तय की जाती है।

3. आया कि वाद भूमि पैतृक सम्पति नही हे तथा सोहनलाल की नोतोड करदा भूमि है।?

प्रतिवादी

तनकी न0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने तनकी न0 3 के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल की स्वअर्जित भूमि है जबकि वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों से वाद भूमि जो सोहनलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है अपने पिता काशीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई जिससे पैतृक सम्पति होना साबित होता है अतः तनकी न0 3 को प्रतिवादीगण साबित करने में नाकाम रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

4. आया कि वाद भूमि का कब्जा सोहनलाल का है कब्जा के अभाव में वाद पोषणीय नही है ।?

प्रतिवादी

तनकी न0 4 को साबित [illegible] भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पे[illegible] सके की वाद भूमि पर वादी का कब्जा नही है [illegible] विरास्तन से प्राप्त होती है पर परिवार के सभी सदस्यो का कब्जा काश्त माना [illegible]ा है चाहे काश्त परिवार का कोई भी सदस्य करता हो मात्र काश्त करना कब्जा का आधार नही हो सकता है अतः तनकी न0. 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण साबित नही करने के कारण तनकी न0 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5. आया वादी की माता सुमन ने अपने पति सतीश कुमार से तलाक लेकर दुसरी शादी महेन्द्र पुत्र देवीलाल ब्राहम्ण निवासी न्योलखी से कर ली इसका दावा पर क्या असर है ।?

प्रतिवादी

तनकी न0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी का कथन है वादी की माता सुमन ने अपने पित से तलाक लेकर दुसरी शादी कर ली है प्रतिवादी ने अपने कथनों में ऐसा कोई भी साक्ष्य /सबुत पेश नही किया जिससे प्रतिवादी के कथनों को बल प्राप्त हो सके मात्र कथनों के आधार पर प्रतिवादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी न0 5 भी प्रतिवादी के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से साबित हो चुका है वाद भूमि काशीराम पुत्र रामप्रसाद की नोतोड करदा भूमि थी जो जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 एव पर्चा खतौनी से पूर्णत्या साबित है काशीराम पुत्र रामप्रसाद के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि काशीराम के पुत्र सोहनलाल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है एवं पैतृक सम्पति में वादी का बाई बर्थ राईट है जिसके अनुसार वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि साबित हो सके एव वादी की माता का प्रतिवादी संख्या 2 से तलाक हो चुका है और दुसरी शादी की जा चुकी है का भी कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है साक्ष्य सबुतो के आधार पर वादी का वाद काबिज डिक्री है।

अतः साक्ष्य सबतों के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्लयूडी के खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6414हैक्‍ भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे हैव्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/03/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पुष्कर पुत्र सतीश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर हाल निवासी दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।।

वादी

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सतीश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर
3. रोहताष कुमार पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी थालडका तहसील नोहर
4. सुशीला पुत्री सोहनलाल पत्नी हसंराज जाति ब्राहमण निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 121 सन 2013 निर्णय दिनांक– 21/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 तथां पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 आरडब्लयूडी के खाता संख्या 86/78 की कुल 2.6414हैक भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज है में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 सयुक्त तौर से 1/4 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे हैव्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/03/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.26 19:00:37 IST
Reason: SelfAttested